70

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	197/2020 कल्याणा / राधाकिशन हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	225	
06/7/20	कार्यालय रिपोर्ट होकर पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर करें। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। अधिवक्ता केवियटकर्ता उपस्थित। उन्हे नकल उपलब्ध करवाई गयी। पत्रावली वास्ते जवाब बहस प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 08/7/2020 को पेश हो।	C/R विरुद्ध मिसल ... R-3 ... एडी. नोटिस भी प्राप्त कि
08/7/20	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधि. उभयपक्ष उपस्थित। अधि. श्री नरेश जैन ने केवियटर/रेस्पो. सं. 3 की ओर से वकालतनामा एवम् प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति पेश किया, जिसकी नकल अधिवक्ता अपीलान्ट को दिलवाई गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस स्थगन प्रार्थना पत्र पर व प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 09/7/2020 को पेश हो।	
09/7/20	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रारम्भिक आपत्ति एवम् स्थगन प्रार्थना पत्र हेतु प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र मे एवम् दौराने बहस मुख्य रूप से यह आपत्ति दर्ज करवाई है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 02/7/2020 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है, जिसमें सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नही कर मात्र मुल्तवी प्रार्थना पत्र उनके समक्ष प्रस्तुत होने से आगामी कार्यवाही किया जाना संभव नही होने का अंकन किया गया है, जिसके की विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत कोई अपील सधारणीय ही नही रहती एवम् व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 2(9) एवम् 2(14) मे वर्णित परिभाषा के अनुसार	

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी • जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	157/2020 गेनाराम / आशाकरण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

225

भी अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका
दिनांक 02/7/20 में वर्णित कथन या आदेश
की परिभाषा में नहीं आता है, जिससे की
अपीलार्थी की यह अपील संधारणीय ही नहीं
रहती। अतः अपील इसी स्तर पर संधारणीय
नहीं होने से खारिज फरमाई जावे। जिसके
जवाब में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा मौके
पर झगड़ा-फसाद होने का कथन कर निवेदन
किया कि अपीलार्थी को उनके कब्जे काश्त से
बेदखल किया जा रहा है, जिससे अनावश्यक
नवीन विवाद उत्पन्न होंगे। अतः विवादग्रस्त भूमि
की मौके की यथास्थिति कायम रखी जावे
एवम् जहाँ तक इस अपील की संधारणीयता
का प्रश्न है तो वह अपील की बहस के
वक्त प्रस्तुत तथ्यो से तय हो जावेगा।
अतः विवादग्रस्त भूमि की यथास्थिति का
आदेश फरमाया जावे।

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान्
पर गौर किया एवम् पत्रावली का अवलोकन किया।
अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की आपत्ति के सन्दर्भ में
आदेश और अपील दिनांक 02/7/20 का अवलोकन
किया। जिससे स्पष्ट है कि सुयोग्य अधीनस्थ
न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत विचाराधीन
प्रकरण में कोई आदेश पारित नही किया गया है
बल्कि उनके समक्ष मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत
होने पर उनके द्वारा कोई अग्रिम कार्यवाही किया
जाना संभव नहीं होने का माग अंकन आदेशिका
दिनांक 02/7/20 में कर आगामी पेशी नियत की
गयी है। ऐसी परिस्थिति में आदेशिका दिनांक
02/7/20 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत
प्रस्तुत यह अपील संधारणीय ही नही है। अतः
अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील संधारणीय नहीं
होने से खारिज की जाती है। तदनुसार पत्रावली फैसल
शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश
खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर